न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 17/2023 अपील (GCMS 2023/24)
पंजीयन दिनांक – 05/04/2023
निर्णय दिनांक – 30/03/2026

श्री चारभुजा जी स्थानदेह पुनावली जरिये वाद मित्रः–

1. श्री बाबूलाल पिता कन्नीराम सुथार, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री सोहनसिंह पिता खुमसिंह राजपूत, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री फतहलाल पिता देवीलाल ब्राह्मण, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री बालूसिंह पिता वनसिंह राजपूत, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. श्री नाथूलाल पिता नारायण ब्राह्मण, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री सीताराम पिता देवराम वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर मृतक के बजायः–

   1/1 श्री मनोहरदास पिता सीताराम वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

   1/2 श्री छगनदास पिता सीताराम वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

   1/3 श्री तुलसीदास पिता सीताराम वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

2. श्री सोहनदास पिता चुन्नीदास वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री मोहनदास पिता चुन्नीदास वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री अम्बादास पिता सवरामजी वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर मृतक के बजायः–

   4/1 श्री प्यारेदास पिता अम्बादास वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

4/2 श्री रूपदास पिता अम्बादास वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

5. श्री मोहित पिता स्व. लालदासजी वैरागी, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
6. श्री खीमराज पिता चुन्नीलालजी ब्राह्मण, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
7. श्री फतहलाल पिता चुन्नीलालजी ब्राह्मण, निवासी पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर
9. देवस्थान विभाग जरिये सहायक देवस्थान कमीश्नर, उदयपुर

– रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलांट
2. श्री कमलेश चौहान – वकील रेस्पोडेंट संख्या 3
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के प्रकरण संख्या 25/2016 (वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट) निर्णय दिनांक 14.05.2022

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

निर्णय

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के प्रकरण संख्या 25/2016 (वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट) निर्णय दिनांक 14.05.2022 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पुनावली, तहसील गोगुन्दा स्थित रेस्पोडेंट्स के खातेदारी की भूमि को दौराने सेटलमेंट चारभुजाजी स्थान देह पुनावली के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दी। रेस्पोडेंट्स द्वारा पुनः भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ने बाद सुनवाई दिनांक 14.05.2022 को आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि को चारभुजाजी स्थान देह के बजाय रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने वादमित्र की हैसियत से धारा 96 सी.पी.सी., धारा 05 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई तथा दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि चारभुजाजी रिकोर्डेड खातेदार है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया, न ही उनके पक्ष को सुना गया जिससे उनके विरूद्ध दिया गया आदेश वोईड है। अपीलांट उनके भक्त होकर संरक्षक है जिससे उन्हें अपील पेश करने की स्वीकृति न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है। मयाद के संबंध में बताया कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23.02.2023 को पटवारी हल्का से हुई जिससे अपील मयाद में शुमार की जावे।

विद्वान वकील ने गुणावगुण पर कथन किया कि चारभुजाजी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था जो कि रिकोर्डेड खातेदार है। इन्हें बिना सुने जो आदेश दिया गया है वह शुरू से ही शून्य होकर काबिल निरस्त है। इस मामले में धारा 136 के प्रावधान लागू नहीं होते है। देवता की भूमि पर कोई अपना हक मानता है तो सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अपना हक तय कराये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत है। यह भी बताया कि भूमि पर कब्जा अपीलांट का है इसकी आमदनी से मंदिर की सेवा पूजा आदि कामों में खर्च की जाती है। शाश्वत नाबालिग की भूमि किसी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। उपखण्ड अधिकारी ने कोई शहादत सबूत नहीं लिये। तहसीलदार से मिलकर गलत आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट अम्बादास व सीताराम की मृत्यु हो चुकी थी परन्तु उनके वारिसों के नाम कायम नहीं कराये जिससे प्रार्थना पत्र अबेट हो जाता है। इसके अलावा अलग–अलग खातों की भूमि के अलग–अलग खातेदारों को अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश करने थे परन्तु एक ही प्रार्थना पत्र पेश किया जो नियम विरूद्ध है जिससे भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपने कथन की पुष्टि में RBJ 2002 Page 108, 88, RRD 1994 Page 606, RBJ 2006 Page 1, RRT 2007(1) Page 728, RRT 2019 Page 219, RBJ 2018 Page 659, RBJ 015 Page 40, RRT 2015(1) Page 10 पेश करते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की चारभुजा जी में कोई आस्था नहीं है न ही भूमि से कोई लेना देना है। द्वेषतावश वादमित्र बनकर गलत रूप से अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मयाद बाहर पेश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण की जानकारी शुरू से ही अपीलांट को

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर
संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

थी। देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है जिससे अपील खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि भूमि उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। रेस्पोडेंट का ही कब्जा काश्त है। पैमाईश में गलती से भूमि चारभुजाजी के नाम दर्ज कर दी गई, जिसको दुरूस्त कराने का रेस्पोडेंट को अधिकार है। इन्द्राज दुरूस्ती के प्रावधान धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में है जिसके अनुरूप उपखण्ड अधिकारी ने सही निर्णय दिया है। पूर्व के इन्द्राज को बिना सक्षम स्वीकृति के परिवर्तन करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय दिया है जिससे अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की संक्षिप्त कार्यवाही में 40 वर्ष पूर्व के सेटलमेन्ट विभाग के शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री चारभुजाजी के नाम दर्ज ग्राम पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर की भूमि को निजी खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया गया है। साथ ही धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वाद का दर्जा देकर फैसले में खातेदारी परिवर्तन किया गया है।

प्रकरण में निहित कानूनी धाराओं की वैधानिक स्थिति निम्नानुसार है:

- यह कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136, राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटियों या बन्दोबस्त के दौरान हुई अशुद्धियों को सुधारने का अधिकार देती है; किन्तु यदि त्रुटि किसी खातेदार को प्रभावित करती है तो उसे सुना जाना आवश्यक है। धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा।

- यह कि मंदिर मूर्ति को राजस्व कानून के तहत शाश्वत नाबालिग माना जाता है और यह स्थापित कानून है कि मंदिर मूर्ति की जमीन विक्रित व हस्तान्तरित नहीं हो सकती है।

- यह कि मूर्ति को शाश्वत नाबालिग मानने से पुजारी, मंहत व सेवायत इनके सेवाधारी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नामों के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा मंदिर मूर्ति की बेशकीमती भूमियों के संरक्षण हेतु यह स्पष्ट किया गया है कि पुजारी, मंहत व सेवाधारियों के नाम राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी के बजाय अलग से

रजिस्टर संधारित कर उसमें लिखे जावें, जिससे देखभाल करने वाला व्यक्ति सम्पत्ति को अनाधिकृत रूप से खुर्द बुर्द न कर सके।

- यह कि मंदिर व देव भूमियों का प्रशासनिक नियंत्रण व प्रबंधन देवस्थान विभाग के अधीन है।
- यह कि देवता नाबालिग माने जाते हैं, इसलिए मंदिर की जमीन के गलत हस्तान्तरण या अतिक्रमण के खिलाफ मामला दर्ज करने में देरी (Limitation Act) का तर्क नहीं दिया जा सकता। शाश्वत नाबालिग को कानूनी उपचार पाने का स्थायी अधिकार है।

उक्त पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अपील में मंदिर मूर्ति की भूमि में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की संक्षिप्त कार्यवाही में मंदिर मूर्ति के राजस्व रेकार्ड में पुराने इन्द्राज को परिवर्तित कर वाद की संज्ञा देते हुए निजी खातेदारों को सुपुर्द किया जाना प्रक्रियात्मक व वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। जहां तक अपीलांट का स्वयं को प्रभावित पक्षकार होने व मौके पर काबिज होकर सेवा पूजा करने का क्लेम है, साक्ष्य के अभाव में ग्राह्य नहीं होकर उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं करता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा का आदेश दिनांक 14.05.2022 निरस्त किया जाकर, ग्राम पुनावली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर की अपीलाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में मंदिर मूर्ति "श्री चारभुजाजी स्थान देह खातेदार" के नाम यथावत प्रतिस्थापित (restored to its original position) की जाती है। तहसीलदार गोगुन्दा इसकी अविलम्ब पालना सुनिश्चित करे। प्रकरण जिला कलक्टर, उदयपुर के संज्ञान में लाया जाकर आदेश की एक प्रति तत्काल पालनार्थ तथा समस्त राजस्व अधिकारियों को मंदिर मूर्ति के अधिकारों व देव भूमियों के संरक्षण संबंधी विषय के सुग्राहीकरण (sensitisation) हेतु संप्रेषित हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर